न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—कमर चौधरी
आई०ए०एस०

नामा० अपील सं० 05/2021

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान जिला दौसा

..अपीलांट

बनाम

1. कमलेश पुत्र हजारी
2. गीता पुत्री हजारी
3. जगदीश प्रसाद पुत्र हजारी
4. प्रेम पुत्री हजारी
5. मन्जू पुत्री हजारी
6. सन्तोष पुत्र हजारी

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम पापडदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा

..रेस्पो०

अपील विरुद्ध नामान्तरण सं० 915 दिनांक 19.8.2020 विरूद्ध आदेश तहसीलदार नांगल राजावतान वाके ग्राम बासना

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता,

<u>निर्णय</u> दिनांकः 25.5.2023

संक्षिप्त वृतांत अपील इस प्रकार है कि तहसीलदार, नांगल राजावतान जिला दौसा ने दिनांक 19.8.2020 को ग्राम बासना का नामान्तरण सं० 915 विरासत का तस्दीक कर दिया गया। इसी नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो० को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। रेस्पो० के बाद तामील अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि ग्राम बासना तहसील नांगल राजावतान में भूमि खाता सं० 128 के खसरा नंबर 1269, 1274 से 1276, 160, 18, 205,290, से 292, 295, 297, 298 4 से 6 व 8 कुल किता 17 रकबा 11.97है. एवं खाता सं० 251 के खसरा नंबर 375 व 376 कुल किता 2 रकबा 0.13है. तथा खाता सं० 296 खसरा नंबर 355, 361, 366 कुल किता 3 रकबा 0.61है. एवं खाता सं० 297 खसरा नंबर 358, 359, 363 कुल किता 3 रकबा 0.63है. स्थित है। उक्त खाता सं० 251, 296 व 297 के खातेदार हजारी पुत्र कल्याण निवासी पापडदा का स्वर्गवास हो जाने पर उसके वारिसान रेस्पो. 1 से 6 के हक में नामान्तरण खोले जाने के लिए रेस्पो. सं० 1 के द्वारा ... व वारिसान का शपथ पत्र लेकर पटवारी हल्का को प्रस्तुत किया गया। पटवारी हल्का ने खाता सं० 251, 296, 297 के खातेदार हजारी पुत्र कल्याण निवासी पापडदा का विरासत का नामान्तरण भरा गया परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से उक्त खातों के साथ खाता सं. 128 का भी विरासत का नामान्तरण भर दिया गया। उक्त खाता सं. 128 का विरासत का इन्द्राज

...निरंतर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by QummerUl Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:45 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सहवन से खाता सं0 251, 296, 297 के खातेदार हजारी पुत्र कल्याण का नाम समान होने के कारण सहवन से भर दिया गया तथा जिसे तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा तस्दीक भी कर दिया गया। उक्त खाता सं0 128 का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण आज दिन जीवित है तथा खाता सं0 251, 296, 297 का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण फोत हो चुका है। परन्तु खातेदार एवं खातेदार की वल्दियत समान होने के कारण उक्त नामान्तरण में खाता सं. 128 विरासत का गलत इन्द्राज हो गया। खाता सं0 128 का खातेदार हजारी हजारी पुत्र कल्याण मीना जीवित है, जिसका प्रमाण ग्राम पंचायत हापावास के प्रमाण पत्र दिनांक 29.1.2021 से होता है। इस प्रकार नामान्तरण सं0 915 में खाता सं0 128 में वर्णित भूमि का खातेदार जीवित है एवं खाता सं0 251, 296, 297 में वर्णित भूमि का खातेदार फोत हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पो0 सं0 1 से 6 है। उक्त नामान्तरण तस्दीक करने से पूर्व तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सहवन से खाता सं0 128 का इन्द्राज भी उक्त नामान्तरण में खातेदार की जीवित रहते हो गया जो कि खातेदारों के नाम व वल्दियत एक समान होने के कारण हुआ है। पटवारी हल्का के के पास कार्यभार की अधिकता होने व कई बार दस्तावेजों की जांच करने में भ्रम पैदा हो जाता है। चूंकि आम तौर पर एक गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति एवं उनकी एक ही वल्दियत नहीं होती है लेकिन इस प्रकरण में एक समान नाम व वल्दियत होने से यह नामान्तरण खुला है, जिसमें अपीलांट एवं पटवारी हल्का की कोई दुर्भावना या कोई दुराशय या लाभ प्रलोभन नहीं रहा है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तरण सं0 915 दिनांक 19.8.2020 वाके ग्राम बासना को निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पो0 सं0 1 लगायत 6 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पो. सं. 1 से 6 के अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण सं0 915 दिनांक 19.8.2020 में खाता सं0 251, 296, 297 के खातेदार हजारी पुत्र कल्याण निवासी पापडदा जो कि फोत हो गया था, की विरासत का नामान्तरण भरा गया परन्तु पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से उक्त खातों के साथ खाता सं. 128 का भी विरासत का नामान्तरण भर दिया गया, जबकि उक्त खाते का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण जीवित है। उक्त खाता सं. 128 का विरासत का इन्द्राज सहवन से खाता सं0 251, 296, 297 के खातेदार हजारी पुत्र कल्याण का नाम समान होने के कारण सहवन से भर दिया गया तथा जिसे तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा तस्दीक कर दिया गया। उक्त खाता सं0 128 का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण आज दिन जीवित है तथा खाता सं0 251, 296, 297 का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण फोत हो चुका है। परन्तु खातेदार एवं खातेदार की वल्दियत समान होने के कारण उक्त नामान्तरण में खाता सं. 128 विरासत का गलत इन्द्राज हो गया। खाता सं0 128 का खातेदार हजारी पुत्र कल्याण मीना जीवित है जिसे ग्राम पंचायत हापावास के द्वारा भी प्रमाणित किया है। आम तौर पर एक गांव में एक ही नाम के एवं एक ही वल्दियत नहीं होती है लेकिन अपीलाधीन प्रकरण में एक समान नाम व वल्दियत होने से यह नामान्तरण खुला है जिसमें अपीलांट एवं पटवारी हल्का की कोई दुर्भावना या कोई दुराशय या लाभ प्रलोभन होना दृष्टिगत नहीं होता है। हम अपील अपीलोट स्वीकार किये जाने योग्य समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:45 IST
Reason: SelfAttested

...निरंतर 3 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

उक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नांगल राजावतान को आदेश दिये जाते है कि अपीलाधीन नामान्तरण सं0 915 वाके ग्राम बासना में से खाता सं0 128 का विलोपन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार नांगल राजावतान को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 25 मई 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा
जिला कलक्टर, दौसा

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:53:45 IST
Reason: SelfAttested